आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 806/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड रजिस्ट्रर्ड आफिस नम्बर 27, बी के सी सी–27 जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला काम्पलैक्स बांद्रा ई मुम्बई।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री गोविन्द जी डेयरी मिल्क प्राईवेट लिमिटेड

   पता :– एफ–405, सुदर्शन पार्क ग्राम बसेई दारापुर, नई दिल्ली।
   एवं मिल्क प्लान्ट, दुध सरोवर, एन एच 11, (52) ग्राम ढोढसर, जयपुर रोड, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
2. नरेन्द्र दीक्षित,

   पता :– एफ–405, सुदर्शन पार्क ग्राम बसेई दारापुर, नई दिल्ली
   एवं ए–206, दशरथ मार्ग, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर
   एवं डब्लू जेड–119, ग्राउण्ड फ्लोर, ग्राम नरैना, नई दिल्ली।
3. मनोरमा दीक्षित,

   पता :– एफ–405, सुदर्शन पार्क ग्राम बसेई दारापुर, नई दिल्ली
   एवं ए–206, दशरथ मार्ग, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर।
4. आशुतोष दीक्षित

   पता :– 88, सैकिण्ड फ्लोर, के ब्लॉक, कीर्ति नगर, रमेश नगर वेस्ट दिल्ली।
5. जी. के. रिटेल प्राईवेट लिमिटेड

   पता :– एफ–405, सुदर्शन पार्क ग्राम बसेई दारापुर, नई दिल्ली।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

The application under section 14 of The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :– श्री प्रमोद कुमार अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 31.07.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री नरेन्द्र दीक्षित पुत्र प्यारे मोहन दीक्षित के स्वामित्व की औद्योगिक प्रयोजनार्थ सम्पति ग्राम ढोढसर तहसील चौमू के खसरा नम्बर 165 में सें 200 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 166/2 में से 4000 वर्गमीटर एवं खसरा नम्बर 166 में से 10000 वर्गमीटर कुल 14,200 वर्गमीटर को बन्धक रख कर दिनांक 29.05.2018, 20.04.2018 एवं 07.07.2022 तक कुल राशि 12,57,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 18.04.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

वित्तीय बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभाति अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 का सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को राशि 12,57,00,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 07,33,88,601.06/– रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 18.04.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री नरेन्द्र दीक्षित पुत्र प्यारे मोहन दीक्षित के स्वामित्व की बन्धक औद्योगिक प्रयोजनार्थ सम्पति ग्राम ढोढसर तहसील चौमू के खसरा नम्बर 165 में सें 200 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 166/2 में से 4000 वर्गमीटर एवं खसरा नम्बर 166 में से 10000 वर्गमीटर कुल 14,200 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पावन्द करे। आदेश की प्रति हस्व कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 31.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner